...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

...S NO.-2022/567
...लनम्बर– 132 / 2022
...श्री रामलाल कश्यप आत्मज स्व श्री जगन्नाथ जी कश्यप आयु 70 वर्ष
...बसंती बाई पत्नी श्री रामलाल कश्यप आयु 67 वर्ष जाति भोई निवासीगण देशी अंग्रेजी शराब के ठेके के पास भोई मोहल्ला कोटड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.रामेश्वर कश्यप आत्मज श्री रामलाल कश्यप आयु 42 वर्ष जाति भोई
2.पवन कश्यप आत्मज श्री रामलाल कश्यप आयु 30 वर्ष जाति भोई निवासीगण देशी अंग्रेजी शराब के ठेके के पास भोई मोहल्ला कोटड़ी कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक....23/1/24

उपस्थिति:–

1.श्री सत्यनारायण राजोरा प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री घनश्याम गोचर अप्रार्थी कम 1 अधिवक्ता
3.श्री रामदयाल शर्मा अप्रार्थी कम 2 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण वृद्ध है एवं जिनकी आयु 67 व 70 वर्ष से अधिक की है और प्रार्थीगण पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक जीवनयापन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का एक निजी मकान वाके देशी अंग्रेजी शराब के ठेके के पास भोई मोहल्ला कोटड़ी काटो राजस्थान में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण एक मात्र मालिक एवं स्वामी है जिसका आवंटन पत्र भी प्रार्थी क्रम 1 के नाम से कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा जिसका क्रमांक एफ (42) दिनांक 30.12.1982 जारी किया हुआ है जिसमें तीन कमरें, एक लेट बाथ व एक बरामदा व अन्य जगह पर बाउन्ड्री बनी हुई है और मकान के बाहर एक लकडी की गुमटी लगी हुई है। अप्रार्थीगण ,प्रार्थीगण के पुत्र है तथा प्रार्थीगण के द्वारा बनाये गये मकान वाके देशी अंग्रेजी शराब के ठेके के पास भोई मोहल्ला कोटडी कोटा राजस्थान में संयुक्त रूप से निवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थी नम्बर 1 के द्वारा प्रार्थी नम्बर–2, जो कि अप्रार्थी नं0 1 की माता है जिसके साथ दो तीन मर्तवा मारपीट की गई और कहा गया कि "तुम लोग उक्त मकान के संदर्भ में कुछ भी निमार्ण से सम्बंधित कार्य करोगे तो मैं तुम्हे इस तरह से मारपीट करके घर से बाहर निकाल दूंगा और अप्रार्थी क्रम 1 अपने बच्चों से कहता है कि यदि मेरे पीछे से यह लोग उक्त मकान पर किसी प्रकार का निर्माण से सम्बंधित कार्य करवाते है तो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दंडे के बल पर मारपीट करके घर से निकाल देना''। इसी वजह से प्रार्थीगण का उक्त
आने जाने में भी बाधा उत्पन्न करते है क्योंकि अप्रार्थी नम्बर–1 के द्वारा उक्त मकान
हर एक गुमटी बना रखी है और इसी गुमटी पर शराबी लोगों को व असामाजिक तत्वों को
कर शराब पिलाता है और शराबियो के लिये चखना वगैरा बेचता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के
थ आयेदिन लडाई झगड़ा करते रहते है, और प्रार्थीगण की बात भी नही मानते हैं एवं प्रार्थीगण
के साथ दुर्यवहार करते रहते है, ओर प्रार्थीगण को उक्त निजी मकान में प्रार्थीगण का बडा पुत्र
अप्रार्थी क्रम 1 रामेश्वर व उसकी पत्नी द्वारा किसी प्रकार का कोई भी निर्माणकार्य नही करने देते
है और न ही किसी प्रकार की मरम्मत करने देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि
अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की मकान में निर्माण व आने
जाने में व्यवधान उत्पन्न न करें, और न ही गाली गलोच करे और न ही मारपीट करे और
अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल किया जावे और प्रार्थीगण के उक्त मकान को
खाली करवाया जावे और मकान खाली नही करने की सूरत में पुलिस इमदाद के आदेश प्रदान
कर मकान खाली करवाया जाकर प्रार्थीगणों के द्वारा स्वयं की अर्जित की गई सम्पत्त का संरक्षण
प्रदान करने के आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार से गाली गलौच नही करते है, और ना ही दुर्व्यवहार करते है सभी प्रकार के रंग रोगन, नल बिजली का बिल आदि कार्य उक्त मकान में प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा ही सम्पूर्ण खर्चा वहन किया जाता है, प्रतिपक्षी क्रम 1 ने कभी भीं गाली गलोच नही की ओर ना ही घर से बाहर निकालने की कोशिश की गयी जबकि प्रार्थीगण अपने स्वयं के मकान अन्य मकान में निवास करते हुए आ रहे है,ऐसी सूरत मे मकान से बाहर निकालने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। और ना ही प्रतिपक्षी क्रम 1 का किसी प्रकार से असामाजिक तत्वो/लोगो के साथ कोई संबंध नही है,ओर ना ही मकान के बाहर गुमंटी पर बैठने देता है.ओर ना ही प्रतिपक्षी क्रम 1 गुंमटी मे बैठकर किसी प्रकार के लेन देन नही करता है, ऐसी सुरत में भी शराबीयो को बैठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रतिपक्षी कम 1 प्रार्थीगण का ज्येष्ठ पुत्र है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है,तथा अपने माता पिता के साथ किसी प्रकार का दुव्यर्वहार नही करता ओर अपने माता पिता की हेमशा सेवा सुश्रुषा करने के लिए तैयार एवं तत्पर रहता है, और ना ही उक्त मकान मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराने के लिए कभी भी व्यवधान नही डाला है। जबकि प्रतिपक्षी क्रम 1 शांतिपूर्वक रूपसे उक्त मकान में अपने पत्नी व बच्चो के साथ निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण के दो पुत्र व तीन पुत्रीया है,जिनमे प्रतिपक्षी क्रम 1 प्रार्थीगण का ज्येष्ठ पुत्र है,जिसकी शादी वर्ष 2004 में हुई है,तथा उसके चार लडकीया है, बडी लडकी की आयु 17 वर्ष की है, जो कि उक्त मकान में प्रतिपक्षी क्रम 1 विवाह के बाद से ही निवास करता चला आ रहा है,उक्त मकान मे तीन कमरे व बाहर लेट बाथ बने हुए है, जिसमे से एक कमरे मे प्रतिपक्षी क्रम 1 मय परिवार निवास करता है, तथा दो कमरो मे प्रार्थीगण का छोटा पुत्र पवन मय परिवार निवास करता है, जिसके एक ही पुत्र है, जिसका छोटा परिवार है, परंतु प्रतिपक्षी क्रम 1 के चार पुत्रिया एवं दोनों पति पत्नी कुल 6 सदस्य होते हुए भी मात्र एक कमरे मे निवास करते हुए आ रहे है,उक्त मकान का नल बिजली का बिल भी प्रतिपक्षी क्रम 1 ही जमा कराता चला आ रहा है, तथा उक्त मकान की टूट फूट एंव रंग रोगन आदि भी प्रतिपक्षी क्रम 1 ही कराता चला आ रहा है, प्रतिपक्षी क्रम 1 अपने सभी कर्तव्यो का निर्वहन करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं उनका छोटा पुत्र पवन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उक्त मकान के बाहर स्थित लेट बाथ को तोडकर अवेधानिक रूपसे नया निर्माण कराने को तैयार है,इस प्रकार प्रार्थी व उसकी पत्नी ने प्रार्थीगण से

उपखण्ड अधिकारी

विनन्ते की कि आप परिवार के बड़े व मुखिया है,आपको दोनो पुत्रो के बच्चो के भविष्य के समान रूप से सोचना चाहिये क्योंकि आज के जमाने में परिवार की बहन बेटीया एवं छोटी बच्चीया बाहर शोच करने के लिए नही जा सकती क्योंकि आज का जमाना खराब है। प्रतिपक्षी कम 1 प्राईवेट नोकरी करता है, मात्र 7000/–रू. प्रतिमाह आय प्राप्त होती है, जिससे बामुश्किल से अपने बच्चो का पालन पोषण करता है,जबकि प्रार्थी सरकारी सेवा मे नोकरी करता था जो पेंशनर है, ओर वर्तमान में उसे प्रतिमाह लगभग 15 हजार रू.पेंशन प्राप्त होती है,ओर प्रार्थीगण दोनो पति पत्नी एवं एक पुत्री शादीशुदा होते हुए भी अपने माता पिता के पास ही निवास करती है इन तीनो का खर्च प्रार्थीगण वहन करते है,इनका अन्य कोई खर्चा नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी कम 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट नही की गई है और न ही भविष्य में करेगा, और प्रतिपक्षी कम 2 द्वारा प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार का काई दुर्व्यवहार भी नही किया गया है और न ही किसी प्रकार से प्रार्थीगण के द्वारा निर्मित की गई सम्पति में निर्माण इत्यादि से लेकर किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाये जाने के आदेश प्रदान फरमाये।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी कम 1 को पाबंद किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित मकान में अवैध गतिविधियॉ नही करे। प्रार्थी उपरोक्त मकान देशी अंग्रेजी शराब के ठेके के पास भोई मोहल्ला कोटड़ी कोटा का अपने दोनो पुत्रों में समान रूप से विभाजन करे। अप्रार्थी कम 1 अपने हिस्से के भू भाग पर लेट–बाथ का निर्माण करवा सकेगा, इसमें प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही करेगें। प्रार्थीगण अपने दूसरे मकान में अपनी पुत्री के साथ शांतिपूर्वक निवास करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक:.....23/X/27.....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा